

दिनांक - 17/10/2012
M-9899226340

का में

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार
वार्ध ब्लॉक, नई दिल्ली

Dy No. 5108 / 2012-RTI
17-10-12

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना
महोदय,

- :- पत्र संख्या-F13/5/2003/HP-1/Estt./3252 दिनांक-22/07/2004 के अनुसार दिल्ली पुलिस
भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय के अधीन होती है। बताया हुआ है।
- :- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या-43011/78/2008 Estt.(RES) दिनांक-22/04/2008 के
अनुसार आरक्षण नीति भारत सरकार के सभी कार्यालयों/मंत्रालयों में एक समान रूप से लागू
होती है। बताया हुआ है।
- :- आपके कार्यालय (MHA) के पत्र संख्या-14011/39/2008-UTP दिनांक-16/04/2012 के अनुसार
दिल्ली पुलिस में आरक्षण श्रेणी की अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रुप 'C' तथा ग्रुप 'D' की अर्धी
केन्द्रीय सूची और दिल्ली राज्य सूची (BOTH LIST) के अनुसार की जाती है। बताया हुआ है।

✓ 1) बताया जाय :- दिल्ली में भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों में इस
आरक्षण नीति को लागू कर दिया गया है ? अगर हाँ ? तो इसके आदेश की फोटो कॉपी
दी जाय। और अगर नहीं ? तो कब तक लागू किया जाएगा ? दिनांक/महीना/वर्ष सहित
पूर-पूर विवरण दिया जाय।

17/10/2012

(हेमन्त सिंह)

L-9, बाल उद्यान रोड

उत्तम नगर

नई दिल्ली-110059.

संलग्नक :- यथा वर्णित

नोट :- कृपया उत्तर स्वीट पोस्ट द्वारा
दिया जाय।

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन प्रभाग-

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-॥ भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 02 जनवरी, 2014

सेवा में,

श्री प्रमोद कुमार मिश्र

ग्राम - डांगीपार

पोस्ट - भैंसा बाजार

जिला - गोरखपुर - 273 212

उत्तर प्रदेश

- 3 JAN 2014

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 26.12.13 के पत्र संख्या ए-43020/01/2013-आरटीई का अवलोकन करें। उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। संदर्भित पत्र दिनांक 01.01.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है। इसका संबंध उत्तराखंड सरकार से है। अतः आवेदन पत्र को उत्तराखंड सरकार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है। आप उत्तराखंड सरकार से सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं।

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.

फोन नं. 2343 8123


प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, 4 सुभाष रोड, देहरादून-248 001 | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है | आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री वी. के. राजन, उप सचिव (ई) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में प्रेषित |

Issued on
the
Feon Book
no 2/13
02-01-2014.



संख्या 40-14/2013/एनडीएम-(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन प्रभाग-

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-॥ भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001

दिनांक : 02 जनवरी, 2014

सेवा में,

श्री हरेन्द्र सिंह

एल-9, बाल उद्यान रोड

उत्तम नगर, नई दिल्ली-11 059

= 3 JAN 2014

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 27.12.13 के पत्र संख्या 14036/109/2012-यूटीपी का अवलोकन करें । उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है । संदर्भित पत्र दिनांक 01.01.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है ।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि आपके आवेदन में मांगी गई सूचना का संबंध इस प्रभाग से नहीं है । अतः संबंधित सूचना 'शून्य' समझी जाए ।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं ।

भवदीय,

जी. ए. घोष

(गौतम घोष)

उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.

फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्रीमती चित्रा नारायण, अवर सचिव एवं के.ज.सू.अ., यूटीपी प्रभाग, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में ।

L.S.No 2/3

03-01-2013